न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 209/2026 गेमराराम के का0मु0 बनाम आम्बाराम के का0मु0 वगैराह

निर्णय दिनांक– 6 .04.2026

1. अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, रामसर जिला बाड़मेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 02/2014 अनवान आम्बाराम बनाम ग्राम पंचायत गंगाला वगैराह में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील दिनांक 26.02.2026 को प्रस्तुत की गई जो उज्र मियाद/उज्र एतराज दर्ज रजिस्टर की गई।

2. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों के अनुसार यह कथन किया कि अपीलान्ट अनपढ एवं ग्रामीण काश्तकार है तथा कानून से अनभिज्ञ है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के पिता अपील में पैरवी कर रहे थे, अपीलान्ट के पिता का दिनांक 28.12.2025 को देहान्त हो गया। इस कारण अपीलान्टस को अपील प्रकरण की कोई जानकारी नहीं रही, अभी हाल ही में रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपीलान्टस को भूमि से बेदखल करने व धमकियां देने पर इस बारे में जॉच पडताल की तथा अपीलाधीन आदेश की नकले प्राप्त की गई, तब उन्हें सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलान्टस के द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करते हुए यह अपील पेश की जा रही है जिसमें हुई देरी का कारण संतोषनजनक एवं न्यायोचित है जो कन्डोन किये जाने योग्य है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जावें। अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

3. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई अपील के गुणावगुण पर यह कथन किया कि ग्राम गंगाला के ख0सं0 286 व 287 कुल रकबा 77.10 बीघा भूमि स्वरूपाराम, शंकरलाल पिता राणाराम 2/3 हिस्सा, तगाराम पुत्र भीखाराम 1/3 हिस्सा, ओम दर्जी के सहखातेदारी की थी। तगाराम के देहान्त उपरान्त नामा0 संख्या 651 स्वीकृत हुआ जिसमें स्वरूपाराम, शंकरलाल का 2/3 हिस्सा, तथा तगाराम के हिस्से में गेमरराम के 1/3 हिस्सा, आम्बाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज

होकर नामा0 संख्या 651 स्वीकृत हुआ। उक्त नामा0 के विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुई जो दिनांक 13.7.2015 को को निर्णित हुई जिसमें मृतक तगाराम के 1/3 हिस्सा की सीमा तक निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रामसर को प्रतिप्रेषित कर खातेदार तगाराम के हिस्से 1/3 को उनके दोनों पुत्रों गेमराराम व आम्बाराम के नाम 1/6–1/6 हिस्से का नामा0 करने आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 13.7.2015 के विरूद्ध अपीलान्ट के पिता गेमराराम ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 30.10.2017 को स्वीकार होकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.7.2015 को निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रामसर को रिमाण्ड कर प्रकरण में पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर ने रिमाण्ड प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 को पारित करते हुए गेमराराम व आम्बाराम पिता तगाराम के नाम हिस्सा 1/6–1/6 दर्ज करने के पुनः आदेश पारित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस् ने यह द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.3.2024 विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है क्योंकि न्यायालय हाजा के द्वारा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रामसर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया था कि आम्बाराम की ओर से प्रस्तुत पूर्व अपील में धारा 05 मियाद अधिनियम के आवेदन में वर्णित तथ्यों को पुनः सुनकर आदेश पारित करे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश की पालना में धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पर पहले आदेश पारित नहीं किया, ऐसे में रिमाण्ड प्रकरण में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 निरस्त करने योग्य है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि ग्राम मानाणियों की बस्ती गंगाला के उक्त वादग्रस्त खसरा भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 में स्वरूपाराम, शंकरलाल पिता राणाराम का 2/3, गेमराराम का 2/3 एवं आम्बाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज है। उक्त नामा0 संख्या 651 दिनांक 9.3.1987 इसी आधार पर स्वीकृत हुआ था। तत्पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 बनाते समय पटवारी

हल्का के द्वारा गलत से स्वरूपाराम, शंकरराम पिता राणाराम का 2/3 हिस्सा, गेमराराम, आम्बाराम पिता तगाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया, इस बारे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई तर्क वितर्क नहीं किया गया है। अपीलान्टस् को अपीलाधीन प्रकरण में किसी भी प्रकार से सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है एवं न ही नोटिस जारी होकर प्राप्त हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो पोस्टल रसीदे पेश की थी, उसके साथ ट्रेक रिपोर्ट पेश नहीं की गई और न ही नोटिस प्राप्ति सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश किया गया था, ऐसे में अपीलान्टस् की तामील मानकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था।

6. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि न्यायालय हाजा के द्वारा आदेश दिनांक 30.10.2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 01 आम्बाराम का देहान्त भी वर्ष 2021 में हो चुका है जिनके वारिसान को भी रिकार्ड पर नहीं लिया गया था। ऐसे में एक मृत व्यक्ति के पक्ष में आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भंयकर कानूनी भूल की है एवं अपीलान्ट गेमराराम का देहान्त दिनांक 28.12.2025 को हुआ है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा परित अपील संख्या 20.03.2024 को निरस्त किया जावे एवं नामा0 संख्या 651 दिनांक 9.3.1987 जो ग्राम पंचायत गंगाला के द्वारा पारित किया गया है, को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

7. हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर के द्वारा प्रथम अपील संख्या 02/2014 अनवान आम्बाराम बनाम ग्राम पंचायत वगैराह आदेश दिनांक 13.7.2015, न्यायालय हाजा की अपील संख्या 505/2017 अनवान गेमराराम बनाम आम्बाराम वगैराह आदेश दिनांक 30.10.2017, उपखण्ड अधिकारी, रामसर न्यायालय की अपील संख्या 02/2014 अनवान आम्बाराम बनाम ग्राम पंचायत वगैराह निर्णय दिनांक 20.03.2024 एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः

यह आपत्ति की है कि उपखण्ड अधिकारी, रामसर के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में अपीलाधीन आदेश 20.03.2024 पारित करने से पूर्व न्यायालय हाजा के द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 के अनुसार "वे पक्षकारान (अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्टगण) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें" की किसी भी प्रकार से पालना नहीं कर रेस्पोडेन्ट आम्बाराम की ओर से पेश अपील को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही बिना ही नामा0 संख्या 651 को स्व0 तगाराम के 1/3 हिस्सा की सीमा तक निरस्त कर खातेदार स्व. तगाराम पुत्र भीखाराम का हिस्सा 1/3, गेमराराम, आम्बाराम पिता तगाराम के नाम 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जो निरस्त किया जावें।

8. प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण/अपील में न्यायालय हाजा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है यानि नामा0 संख्या 651 के विरूद्ध प्रथम अपील में संस्थित उभय पक्षकारान/प्रभावित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखे जाने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं कर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपील का निस्तारण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट आम्बाराम का देहान्त दिनांक वर्ष 2021 में ही हो जाने के तथ्यों एवं उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही रेस्पोडेन्ट आम्बाराम की अपील उनके अधिवक्ता की ओर से की गई एकपक्षीय बहस को सुना जाकर अपील को स्वीकार कर निर्णित कर दिया गया है, जिसे न्यायोचित एवं विधि के अनुकूल उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 को निरस्त करते हुए मृतक खातेदार तगाराम के वारिसान गेमराराम एवं आम्बाराम के वर्तमान उत्तराधिकारीगण को अपना पक्ष रखने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने, पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सायला के द्वारा पारित

अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार श्री तगाराम के विधिक वारिसान (अपीलान्ट गेमराराम के वारिसान एवं रेस्पोडेन्ट आम्बाराम के वारिसान) को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः यथोचित आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

6/4/26.

(सुनिता चौधरी)
अति0 सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर